रा. मु. अ. 33 4 -2000-10 लाख फा.

APP
CrII

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत .... कलेक्टर .... मुकाम .... बांदीकुई

.... अजय कुमार .... बनाम .... राजस्थान सरकार ....

किस्म मुकदमा .... प्रा० पत्र नाम दुरूस्ती इंद्राज उद् घोषणा अंतर्गत धारा 136 LRAct .... नं० .... 33 .... सन 2025 ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-7-25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थी अजय कुमार सैनी का साक्ष्यवाही शपथपत्र पेश किया। प्रार्थी वकील द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रदर्शीका अंकन करवाया गया। साक्ष्यवाही पूर्ण की गयी। प्रार्थी वकील द्वारा प्रकरण में बहस की गयी। हमने प्रार्थी वकील बहस सुनी। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः वकील बहस पर मनन करने, प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती इंद्राज, उद् घोषणा अंतर्गत धारा 136 राज० भू० रा० एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। 11.7.25	11/7/25 तहसीलदार बांदीकुई

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या 33/2025
प्रकरण दायर दिनांक 23.04.2025

उनवान

अजय कुमार उर्फ नौरत्न पुत्र भगवती प्रसाद उम्र 34 साल जाति माली निवासी बडवाली कोठी झज्जर की ढाणी पीचूपाडा खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा

:- प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बांदीकुई

:- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती इन्द्राज, उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 136 रा. ले. रे. एक्ट

निर्णय दिनांकः- 11.07.2025

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती इन्द्राज, उद्घोषणा अंतर्गत धारा 136 रा. ले. रे. एक्ट जर्ये वकील श्री राजेश कुमार के इस आशय से पेश किया कि ग्राम बडवाली तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 37 पुरानी 38 के खसरा नंबर 330 से 340, 346, 348, 349, 350, 354 से 356, 361, 377 से 381 कुल किता 24 कुल रकबा 4.28 हैक्टेयर एवं भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 36 पुरानी 35 के खसरा नंबर 345 रकबा 0.05 कुल किता 1 कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर एवं भूमि खेवट खतौनी संख्या नई पुरानी 22 के खसरा नंबर 273 से 276 कुल किता 4 कुल रकबा 1.27 हैक्टेयर एवं भूमि खेवट खतौनी संख्या नई पुरानी 11 के खसरा नंबर 266 से 272, 305 से 310 कुल किता 13 कुल रकबा 2.34 हैक्टेयर स्थित है। भूमि मुतदाविया चारों खतौनियों की पूर्व में प्रार्थी के पिता भगवती प्रसाद के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है प्रार्थी के पिता की मृत्यु के उपरांत उनकी जगह खातेदारी उनके वारिसान प्रार्थी के नाम दर्ज हुयी तो राजस्व अधिकारियों ने सहवन से प्रार्थी का घर मे बोलता नाम नौरत्न पुत्र भगवती प्रसाद गलत तरीके से दर्ज कर दिया जो कि गलत है। नौरत्न पुत्र भगवती प्रसाद जो कि प्रार्थी का घर का बोलता नाम है जबकि प्रार्थी का सही अजय कुमार पुत्र भगवती प्रसाद है जो सही है। प्रार्थी के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजात, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम अजय कुमार पुत्र भगवती प्रसाद दर्ज है जो सही है प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी न तो राज्य सरकार व भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली कृषि सहायता प्राप्त कर सकता है न ही लोन आदि प्राप्त कर सकता है तथा प्रार्थी को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है इस कारण प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो

Scanned with OKEN Scanner

रहे अपने गलत नाम नौरत्न पुत्र भगवती प्रसाद को हजफ करवाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का सही नाम अजय कुमार पुत्र भगवती प्रसाद दर्ज कराने का अधिकारी है इस अमर की दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री अपने हक में जारी कराने का अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 के यहॉ अपना हो रहा गलत नाम नौरत्न पुत्र भगवती प्रसाद को दुरूस्त कर उसके स्थान पर सही नाम अजय कुमार पुत्र भगवती प्रसाद दर्ज करने के लिये प्रार्थी ने तहसीलदार बांदीकुई के यहां प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2025 को पेश किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा सही नाम दर्ज करने से मना कर दिया व कहा कि न्यायालय से दुरूस्ती के आदेश करवाकर लाओ इस कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज बहक प्रार्थी वरखिलाफ अप्रार्थी इस अमर की जारी की जावे कि राजस्व अधिकारियों भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 37 पुरानी 38 के खसरा नंबर 330 से 340, 346, 348, 349, 350, 354 से 356, 361, 377 से 381 कुल किता 24 कुल रकबा 4.28 हैक्टेयर एवं भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 36 पुरानी 35 के खसरा नंबर 345 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर एवं भूमि खेवट खतौनी संख्या नई पुरानी 22 के खसरा नंबर 273 से 276 कुल किता 4 कुल रकबा 1.27 हैक्टेयर एवं भूमि खेवट खतौनी संख्या नई पुरानी 11 के खसरा नंबर 266 से 272, 305 से 310 कुल किता 13 कुल रकबा 2.34 हैक्टेयर स्थित ग्राम बडवाली तहसील बांदीकुई जिला दौसा में राजस्व अधिकारियों के द्वारा प्रार्थी का घर में बोलता नाम नौरत्न पुत्र भगवती प्रसाद को हजफ करवाया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का सही नाम अजय कुमार पुत्र भगवती प्रसाद दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस/सम्मन विधिवत की गयी। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। उपतहसीलदार आभानेरी का पर्चा मौका अनुसार उक्त प्रकरण की मजमेआम जानकारी की गयी। मजमेआम जानकारी करने पर पाया गया कि नौरत्न का वास्तविक सही नाम अजय कुमार है किन्तु घर पर बोलता नाम नौरत्न है पत्रावली में संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, मूलनिवास प्रमाण पत्र , पहचान पत्र, पेनकार्ड, जनआधार कार्ड में भी प्रार्थी का नाम अजय कुमार पुत्र भगवतीप्रसाद दर्ज है अतः मजमे में जानकारी एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर नौरत्न पुत्र भगवती प्रसाद के बजाय अजयकुमार पुत्र भगवती प्रसाद किया जाना उचित है। दिनांक 11.07.2025 को पैरोकार सरकार/तहसीलदार बांदीकुई न्यायालय उपस्थित आये इस बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

प्रार्थी वकील द्वारा पत्रावली जमाबंदी खाता संख्या नया 37 पुराना 36 ग्राम बडवाली प्रदर्श 01, जमाबंदी खाता संख्या नया 36 पुराना 35 प्रदर्श 2, जमाबंदी खाता संख्या नया 22 पुराना 22 प्रदर्श 3, जमाबंदी खाता संख्या नया पुराना 11 प्रदर्श 4, आधार कार्ड प्रदर्श 5 ए, पेनकार्ड प्रदर्श 6 ए, मूलनिवास प्रदर्श 7 ए, जनाधार प्रदर्श 8ए, पहचान पत्र प्रदर्श 9 ए पेश किये। प्रार्थी वकील एवं पैरोकार सरकार/तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती इन्द्राज, उद्घोषणा अंतर्गत धारा 136 रा. ले.

१५६ –

M No. III
अहकाम
यम 26)
मुकाम बांदीकुई
बनाम राजस्थान सरकार
33 सन् 202
शियल्स जज
नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ता में जारी हुए

रे. एक्ट पर बहस की गयी। हमने बहस सुनी। बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र, संलग्न समस्त दस्तावेजात, तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः प्रार्थी वकील बहस पर मनन करने एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार नाम दुरूस्ती इन्द्राज, उद्घोषणा अंतर्गत धारा 136 रा. ले. रे. एक्ट पोषणीय होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती इन्द्राज, उद्घोषणा अंतर्गत धारा 136 रा. ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 37 पुरानी 38 के खसरा नंबर 330 से 340, 346, 348, 349, 350,354 से 356, 361, 377 से 381 कुल किता 24 कुल रकबा 4.28 हैक्टेयर एवं भूमि खेवट खतौनी संख्या नई पुरानी 22 के खसरा नंबर 273 से 276 कुल किता 4 कुल रकबा 1.27 एवं भूमि खेवट खतौनी संख्या नई पुरानी 11 के खसरा नंबर 266 से 272, 305 से 310 कुल किता 13 कुल रकबा 2.34 हैक्टे ग्राम बडवाली तहसील बांदीकुई जिला दौसा में दर्ज नाम नौरत्न पुत्र भगवती प्रसाद की जांच तहसीलदार स्वयं करे, यदि नौरत्न पुत्र भगवती प्रसाद एवं अजय कुमार पुत्र भगवती प्रसाद एक ही व्यक्ति हो तो तदनुसार शुद्ध कर विधिवत रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे द्वारा सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)